



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232851
CG-DL-E-24012022-232851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]
No. 307]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/ MAGHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

का.आ. 315(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-1 के कि.मी. 16+500 से 17+400 कि.मी. तक श्रीनगर-बारामूला-उरी मार्ग (सेक्शन-1A) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, श्रीनगर, जिला श्रीनगर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जिले श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-1 के कि.मी. 16+500 से 17+400 कि.मी. तक श्रीनगर-बारामूला-उरी मार्ग (सेक्शन-1A) के निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: श्रीनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: शालटेन्ना					
गांव का नाम: रमबीरगढ़ परताबगढ़					
1	1651	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0382000(हेक्टेयर)	0.0382000
2	1652	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0139000(हेक्टेयर)	0.0139000
3	1653	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0095000(हेक्टेयर)	0.0095000
4	1655	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0988000(हेक्टेयर)	0.0988000
5	1656	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.1617000(हेक्टेयर)	0.1617000
6	1658	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0170000(हेक्टेयर)	0.0170000
7	1664	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0180000(हेक्टेयर)	0.0180000
8	1665	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0603000(हेक्टेयर)	0.0603000
9	1666	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.1403000(हेक्टेयर)	0.1403000
10	1684	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0830000(हेक्टेयर)	0.0830000
11	1689	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0213000(हेक्टेयर)	0.0213000
12	1690	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0170000(हेक्टेयर)	0.0170000
13	1691	सरकारी	बंजरी कदीम तूत ज़ार	0.0056000(हेक्टेयर)	0.0056000
14	1692	सरकारी	गैर मुमकिन खंडक	0.3942000(हेक्टेयर)	0.3942000
15	1693	सरकारी	गैर मुमकिन सड़क	1.0436000(हेक्टेयर)	1.0436000
16	1694	सरकारी	गैर मुमकिन खंडक	0.7886000(हेक्टेयर)	0.7886000
कुल				2.9110	2.9110

[फा. सं. 1/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2022

S.O. 315(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/4 laning devided carriage Way), maintenance, management and operation of National Highway no. **NH-1** in the stretch of land from Km. **16+500 to 17+400 Km. Srinagar-Baramulla-Uri Road (Section-1A)** in the district of **Srinagar**, in the state of JAMMU & KASHMIR(UT) hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Commissioner (Revenue) and Land Acquisition Officer **Srinagar**, District **Srinagar**, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this nitification are available and can be inspected by by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. **16+500 to Km. 17+400 Srinagar-Baramulla-Uri Road (Section-1A)** of the National Highway NH-1 in the district of **Srinagar** in the state of JAMMU & KASHMIR(UT)

State: JAMMU & KASHMIR			District: SRINAGAR		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Shalteng					
Village: Rambeergarh Partabgarh					
1	1651	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0382000(Hectare)	0.0382000
2	1652	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0139000(Hectare)	0.0139000
3	1653	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0095000(Hectare)	0.0095000
4	1655	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0988000(Hectare)	0.0988000
5	1656	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.1617000(Hectare)	0.1617000
6	1658	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0170000(Hectare)	0.0170000
7	1664	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0180000(Hectare)	0.0180000
8	1665	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0603000(Hectare)	0.0603000
9	1666	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.1403000(Hectare)	0.1403000
10	1684	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0830000(Hectare)	0.0830000
11	1689	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0213000(Hectare)	0.0213000
12	1690	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0170000(Hectare)	0.0170000
13	1691	Government	Banjri Qadeem Toot Zar	0.0056000(Hectare)	0.0056000
14	1692	Government	Gair Mumkin Khandak	0.3942000(Hectare)	0.3942000
15	1693	Government	Gair Mumkin Sadak	1.0436000(Hectare)	1.0436000

16	1694	Government	Gair Mumkin Khandak	0.7886000(Hectare)	0.7886000
Total				2.9110	2.9110

[F. No. 1/3A1]

RAJESH GUPTA, Director